भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

अध्यक्ष
Chairman

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Case File Number: TN-22473-INST — **Issuance Date:** 10/11/2021

Document Number: 21-IRLOP-690762 — **Expiry Date:** 10/11/2024

LICENCE FOR POSSESSION AND OPERATION OF RADIOGRAPHY EXPOSURE DEVICE(S) FOR INDUSTRIAL RADIOGRAPHY

This has reference to the submission no. 21-819824 dated 02/11/2021 . In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 of the Atomic Energy Act, 1962 as applicable, read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules {AE(RP)R}, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues the Licence in favour of Mrs. NIRMALA RAMDASS, PARTNER, INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai to possess and operate the Industrial Radiography Exposure Device (s) (**IRED**) containing radiography source / radiation generating equipment for industrial radiography purposes at authorised site(s).

The PARTNER, INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai and Mrs. NIRMALA RAMDASS is hereby identified as the Employer and Licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of possession and operation of IRED (s) by INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai. The licensee shall obtain permission from AERB prior to the routine operation of each IRED after its procurement.

The Employer/ Licensee shall be responsible for:

a) Ensuring compliance with the relevant provisions of the
- Atomic Energy Act, 1962;
- Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
- Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987;
- AERB Safety Code on Industrial Radiography AERB/SC/IR-1, 2001, Safety Code on Transport of Radioactive Material AERB/SC/TR-1;
- Guide on Security of Radioactive Sources in Radiation Facilities no. AERB/RF RS/SG-1, 2011 and Security of Radioactive Material (RAM) during transport No. AERB/NRF-TS/SG-10, 2008
- Other applicable regulatory documents issued by AERB;

b) Ensuring compliance with the terms and conditions cited above and stated in Annex-1.

This Licence may be suspended, modified or withdrawn as deemed fit in the event of contravention of the provisions of the above Act / Rules / Codes or terms and conditions.

A copy of this Licence should be available and displayed in office / radiography site where the IRED(s) is/are being operated / stored.

G. Nageswara Rao
Chairman

MRS. NIRMALA RAMDASS

INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY
SP111, AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE, AMBATTUR

CHENNAI-600058
TAMIL NADU

Annex-1

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1.Radiation equipment/sources shall not be used for purposes other than those specified in the licence.

2.**Responsibilities of employer, licensee and RSO:** The regulatory responsibilities of the employer, licensee and the RSO are laid down in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004. If the licensee or the RSO leaves the institution or is transferred to another department of the same institution or ceases to be in a position to discharge their duties in respect of the radiation sources in the institution, the same should be brought to the notice of AERB.

3.**Responsibility of safety and the security of the source:** From the procurement up to the time of disposal of the source, the safety and security of the radiography source is the sole responsibility of the licensee.

4.**Regulatory recommendations:** All recommendations made from time to time by the Competent Authority in respect of radiation safety measures and physical security measures should be implemented

5.**Regulatory Inspection:** Full facilities should be accorded to authorised representative(s) of the Competent Authority to inspect radiation facility at any time.

6.**Radiation surveillance and medical surveillance**: Radiation surveillance and medical surveillance of person(s) engaged in radiation work should be provided as required by the Competent Authority.

7.**Periodic Status Report:** The periodic status report of all radiation devices/sources in the possession of the institution shall be submitted to AERB.

8.**Storage of source not in Use:** When not in use, the industrial radiography exposure devices (IREDs) housing the radiography source should be stored in an authorized and secure storage room.

9.**Sale or transfer:** The IRED should not be sold or otherwise transferred to another person without obtaining prior approval from AERB.

10.**Movement of IRED from one site to another:** The IRED should not be moved from one radiography site to another without obtaining prior approval from AERB.

11.**Transport of the radiography source:** It shall be ensured that IREDs housing radiography source is packed, labeled, marked and transported in accordance with the current applicable requirements for the safe transport of radioactive material.

12.**Disused sources:** When a radiography source, is no longer in use for the authorized purpose, or upon completion of its useful life, the source should be returned to the original supplier, in accordance with the procedure for the same laid down by AERB. In respect of imported radioactive sources, prior permission for re-export of the same should be obtained from AERB.

13.**Incident involving the radiography source:** If an incident involving the safety and / or security of the radiography source occurs, the same should be intimated to AERB within 24 hours of the occurrence of the incident. In the event of loss or theft of the source, the matter should also be reported to the local police authorities at least within 24 hours of occurrence of the incident.

14.**Renewal of Licence:** In case of expiry of the licence, the same shall be renewed prior to the date of expiry.

15.**Amendment to Licence**: In case there is change in information contained in this licence after its issuance, such as change of Licensee, Employer, name of institution, address etc., it shall be ensured by licensee that the necessary amendment to this effect to the licence is obtained from the Competent Authority.

16.**Operation of IRED(s)** : It shall be ensured that the consent for operation of each IRED in possession of institute is obtained prior to resuming its operations.

17.**Offences and penalties**: Any person who contravenes the provisions of Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 or any of the terms and conditions of this licence, shall be punishable as provided for under the Atomic Energy Act, 1962.

केस फाइल नंबर: TN-22473-INST **जारी करने की तिथि:** 10/11/2021

दस्तावेज नंबर: 21-IRLOP-690762 **समाप्ति की तिथि:** 10/11/2024

औद्योगिक रेडियोग्राफी के लिए रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइस(सों) के कब्जे और संचालन के लिए लाइसेंस

यह दिनांक 02/11/2021 की प्रस्तुति सं. 21-819824 का संदर्भ है। परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम {एई(आरपी)आर}, 2004 के साथ पढ़ते हुए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धरा 16 और 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एइआरबी) एतदद्वारा Mrs. NIRMALA RAMDASS, PARTNER, INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai के पक्ष में अधिकृत साइट (साइटों) पर रेडियोग्राफी के उद्देश्य से औद्योगिक रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइस (आईआरईडी) को रखने और संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करता है।

विकिरण सुरक्षा के संबंध में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य से, INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai द्वारा औद्योगिक रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइस (आईआरईडी) को रखने और संचालित करने के कारण श्रमिकों, जनता और पर्यावरण का विकिरण संरक्षण के लिए PARTNER,INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY, Chennai और Mrs. NIRMALA RAMDASS को क्रमशः नियोक्ता और लाइसेंसधारक के रूप में पहचाना जाता है। लाइसेंसधारक प्रत्येक आईआरईडी की खरीद के बाद उसके नियमित संचालन से पहले एईआरबी से अनुमति प्राप्त करेगा।

नियोक्ता/लाइसेंसधारक इसके लिए जिम्मेदार होंगे :

क) के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962;
- परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;
- परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987;
- औद्योगिक रेडियोग्राफी पर एईआरबी संरक्षा कोड एईआरबी/एससी/आईआर-1, रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन हेतु एईआरबी संरक्षा कोड – एईआरबी/एससी/टीआर-1;
- विकिरण सुविधाओं में रेडियोधर्मी स्रोतों की सुरक्षा पर संरक्षा गाइड (सं.एईआरबी/आरएफ आरएस/एसजी-1, (2011) और परिवहन के दौरान रेडियोधर्मी सामग्री (आरएएम) की सुरक्षा [सं. एईआरबी/एनआरएफ-टीएस/एसजी-10, (2008)]
- एईआरबी द्वारा जारी अन्य लागू नियामक दस्तावेज;

ख) ऊपर उल्लिखित और अनुबंध-1 में बताए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
उपरोक्त अधिनियम/नियमों/संहिताओं या नियमों और शर्तों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में यह लाइसेंस निलंबित, संशोधित किया या वापस लिया जा सकता है।
इस लाइसेंस की एक प्रति कार्यालय/रेडियोग्राफी साइट पर उपलब्ध होनी चाहिए जहां आईआरईडी का संचालन/संग्रह किया जा रहा है।

G. Nageswara Rao
Chairman

(मूल पत्र अंग्रेजी में)

MRS. NIRMALA RAMDASS
INDUSTRIAL RADIOGRAPHIC INSPECTION COMPANY
SP111, AMBATTUR INDUSTRIAL ESTATE, AMBATTUR

CHENNAI-600058
TAMIL NADU

अनुलग्नक-1

लाइसेंस के नियम एवं शर्तें

1. लाइसेंस में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विकिरण उपकरण/स्रोतों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
2. **नियोक्ता, लाइसेंसधारक और आरएसओ की जिम्मेदारियां** : नियोक्ता, लाइसेंसधारक और आरएसओ की नियामक जिम्मेदारियां परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में निर्धारित की गई है। यदि लाइसेंसधारक या आरएसओ संस्थान छोड़ देता है या उसी संस्थान में किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है या संस्थान में विकिरण स्रोतों के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है, इसे एईआरबी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
3. **स्रोतों की संरक्षा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारियां** : खरीद के स्रोत के निपटान के समय तक, रेडियोग्राफी स्रोत की संरक्षा और सुरक्षा एक मात्र लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी है।
4. **नियामक सिफारिशें** : विकिरण संरक्षा उपायों और भौतिक सुरक्षा उपायों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई सभी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
5. **नियामक निरीक्षण** : सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) को किसी भी समय विकिरण सुविधा का निरीक्षण करने के लिए पूर्ण सुविधाओं प्रदान की जानी चाहिए।
6. **विकिरण निगरानी और चिकित्सा निगरानी** : विकिरण कार्य में लगे व्यक्ति(यों) की विकिरण निगरानी और चिकित्सा निगरानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान की जानी चाहिए।
7. **आवधिक स्थिति रिपोर्ट** : संस्थान के पास मौजूद सभी विकिरण उपकरण/स्रोतों की आवधिक स्थिति रिपोर्ट एईआरबी को प्रस्तुत की जाएगी।
8. **उपयोग में न हो ऐसे स्रोत का भंडारण** : रेडियोग्राफी स्रोत वाले औद्योगिक रेडियोग्राफी एक्सपोजर डिवाइस (आईआरईडी) उपयोग में न हो तब इसे एक अधिकृत और सुरक्षित भंडारण कक्ष में संग्रहित किया जाना चाहिए।
9. **बिक्री या हस्तांतरण** : एईआरबी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना आईआरईडी को बेचा या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
10. **आईआरईडी को एक साइट से दूसरी साइट पर ले जाना** : एईआरबी से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना आईआरईडी को एक रेडियोग्राफी साइट से दूसरी साइट पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
11. **रेडियोग्राफी स्रोत का परिवहन** : यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेडियोधर्मी सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए वर्तमान में लागू आवश्यकताओं के अनुसार आईआरईडी आवास रेडियोग्राफी स्रोत पैक, लेबल, चिह्नित और परिवहन किया गया है।
12. **अप्रयुक्त स्रोत** : जब रेडियोग्राफी स्रोत अधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं है, या उसके उपयोगी जीवन पूरा होने पर स्रोत को एईआरबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए। आयातित रेडियोधर्मी स्रोतों के संबंध में, उनके पुनः निर्यात के लिए एईआरबी से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
13. **रेडियोग्राफी स्रोत से जुड़ी घटना** : यदि रेडियोग्राफी स्रोत की सुरक्षा और/या सुरक्षा से जुड़ी कोई घटना होती है तो घटना होने के 24 घंटे के भीतर एईआरबी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। स्रोत के खो

जाने या चोरी होने की स्थिति में, घटना होने के कम से कम 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी मामले की सूचना दी जानी चाहिए।

14. **<u>लाइसेंस का नवीनीकरण</u> :** लाइसेंस की समाप्ति के मामले में, इसे समाप्ति की तारीख से पहले नवीनीकृत कराया जाएगा।

15. **<u>लाइसेंस में संशोधन</u> :** यदि लाइसेंस जारी करने के बाद इस लाइसेंस में निहित जानकारी में परिवर्तन होता है, जैसे लाइसेंसधारक, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता इत्यादि, तो लाइसेंसधारक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आशय में आवश्यक संशोधन लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाता है।

16. **<u>आईआरईडी का संचालन</u> :** यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थान के कब्जे वाले प्रत्येक आईआररईडी के संचालन के लिए उसके संचालन को फिर से शुरू करने से पहले सहमति प्राप्त की गई है।

17. **<u>अपराध और दंड</u> :** कोई भी व्यक्ति जो परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 या इस लाइसेंस के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, वह परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत प्रदान किए गए अनुसार दंडनीय होगा।